झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग-2

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 04 चैत्र 1937(श0) / 24 मार्च, 2015(ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02.	03.	04	05.	06.
उ0स0	625. मास-105	श्री लाल मरांडी,	निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	मानव संसाधन विकास	16.03.15
उ0स0	626. मास-101	श्री चम्पोरा महतो,	स्टेडियम का निर्माण	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	15.03.15
उ0स0	627. गारा-103	डा0 इरफान अंसारी,	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।	मानव संसाधन विकास	16.03.15
उ0स0	628. वि0प्र0-13	श्री रविन्द्रनाथ महतो,	पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	15.03.15
उ0स0	629. वि0प्र0-10	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,	आई0टी0आई0 खोलना।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13.03.15
उ0स0	630. गारा-104	श्री राजकिशोर महतो,	सरकारी डिग्री कॉलेज खोलना।	मानव संसाधन विकास	16.03.15
उ0स0	631. उ0-11	श्री अशोक कुमार,	कार्यालय का स्थानान्तरण	उद्योग	12.03.15
उ0स0	632. मास-76	श्रीमती गंगोत्री कुजूर,	सभा-सभाओं की उपस्थिति।	मानव संसाधन विकास	12.03.15

क्र0पृ0उ0-

01	02.	03.	04	05.	06.
633.	गास-97	श्री चोलेश्वर महतो,	मखन का उपयोग	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	12.03.15
634.	उ0-14	श्रीमती सीता सोरेन,	कुक्कुटों का उत्पादन	उद्योग	17.03.15
635.	गास-66	श्री अशोक कुमार,	बिजली का कनेक्शन देना।	मानव संसाधन विकास	09.03.15
636.	गास-102	श्री कुणाल पाण्डेयी,	पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराना।	मानव संसाधन विकास	15.03.15
637.	गास-86	श्री जगरनाथ महतो,	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना।	मानव संसाधन विकास	12.03.15
638.	गास-49	श्री रामकुमार यादव,	नागपुरी भाषा का विकास।	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	04.03.15
639.	गास-100	श्री दीपक बिरुवा,	कुलपति पर कार्रवाई	मानव संसाधन विकास	15.03.15
640.	य-11	श्री साधुचरण महतो,	प्रदूषण को नियंत्रित करना।	वन एवं पर्यावरण	13.03.15
641.	गास-89	श्री शिवशंकर उरांव,	स्नातकोत्तर की पढ़ाई।	मानव संसाधन विकास	13.03.15
642.	गास-92	श्री अमित कुमार,	आवासीय विद्यालय की स्थापना।	मानव संसाधन विकास	13.03.15
643.	गास-58	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,	स्नातक की पढ़ाई	मानव संसाधन विकास	09.03.15
644.	गास-97	श्री अरुप चटर्जी,	स्नातकोत्तर की पढ़ाई	मानव संसाधन विकास	13.03.15
645.	वि0प्र0-11	श्री विनोद कुमार शाहाबादी,	तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13.03.15
646.	उ0-12	श्री जगरनाथ महतो,	उद्योग की स्थापना	उद्योग	12.03.15

क्रमशः पृ0 3b —

01	02.	03.	04	05.	06.
अ०सा०647.	मास-96	श्री राजकुमार यादव,	मानदेय देने का विचार	मानव संसाधन विकास	13.03.15
अ०सा०648.	वि०प्र०-15	श्री कमल किशोर भगत,	इंजिनियरिंग कॉलेज खोलना।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।	15.03.15
अ०सा०649.	वि०प्र०-12	श्री राधाकृष्ण किशोर,	शिक्षकों का पदस्थापन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	15.03.15
अ०सा०650.	वि०प्र०-12	श्री रविन्द्रनाथ महतो,	व्याख्याताओं की नियुक्ति।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	15.03.15
अ०सा०651.	व०- 06	श्री प्रदीप यादव,	पदाधिकारी को पदमुक्त करना।	वन एवं पर्यावरण	09.03.15
अ०सा०652.	व०- 12	श्री रघुचरण महतो,	प्रदूषण पर रोक एवं नियंत्रण।	वन एवं पर्यावरण	15.03.15
अ०सा०653.	मास-96	श्री नागेन्द्र महतो,	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलना।	मानव संसाधन विकास	13.03.15
अ०सा०654.	उ०- 13	श्री त्रिपाठी नारायण,	नये उद्योग को बढ़ावा देना।	उद्योग	13.03.15
अ०सा०655.	मास 90	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,	स्टेडियम का निर्माण	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	13.03.15
656.	व- 14	डा० इरफान अंसारी,	दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई	वन एवं पर्यावरण	16.03.15
अ०सा०657.	मास-98	श्री मनोज कु० यादव,	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना।	मानव संसाधन विकास	13.3.15
अ०सा०658.	मास-93	श्री यादव,	रिक्त पदों का भरा जाना।	मानव संसाधन विकास	13.03.15
अ०सा०659.	मास-94	श्री विजय कु० शाहाबादी,	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति	मानव संसाधन विकास	13.03.15
अ०सा०660.	व- 13	श्री कमल किशोर भगत,	पदाधिकार अधिनियम 2006 को लागू करना।	वन एवं पर्यावरण	15.03.15

01	02.	03.	04	05.	06.
3040	गारु-99	श्री दशरथ गागराई	शिक्षियन की प्रतिनियुक्ति	मानव संसाधन विकास	15.03.15

राँची,
दिनांक- 24मार्च,2015

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/15-...1583...../वि0स0, राँची, दिनांक- 22/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/15
(संजय कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/15-...1583...../वि0स0, राँची, दिनांक- 22/3/15

प्रतिः- मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/15
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/15-...1583...../वि0स0, राँची, दिनांक- 22/3/15

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/15
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

विज्ञप्ति

21.03.15

(625)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री ताला मराण्डी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-मास-105

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड- बोआरीजोर मुख्यालय में कस्तुरबा विद्यालय भवन पिछले तीन वर्षों से निर्माणाधीन है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि भवन नहीं बनने से पठन-पाठन के साथ-साथ छात्राओं के सुरक्षा पर असर पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्यालय भवन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण पठन-पाठन पर आंशिक असर पड़ रहा है। छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा सभी छात्राएँ छात्रावास में सुरक्षित रह रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारी एवं संवेदक के लापरवाही के कारण कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय बोआरीजोर का निर्माण कार्य 2015 तक पूर्ण नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्थानीय लोगों द्वारा भूमि विवाद उत्पन्न करने एवं संवेदक द्वारा लापरवाही बरतने के कारण विद्यालय भवन निर्माण में विलंब हो गया है। विलंब होने के कारण संवेदक द्वारा प्रस्तुत विपत्र में से नियमानुसार पेनाल्टी राशि की कटौती की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विलंब के लिए दोषी पर कार्रवाई करते हुए कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय बोआरीजोर का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्यालय भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करने का निदेश संवेदक को दिया गया है।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 602 / राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1297, दिनांक 16.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

(626)

श्री नागेन्द्र महतो, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास–101 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री नागेन्द्र महतो, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड अंतर्गत जी०टी० रोड, औरा स्थित बिनोद उच्च विद्यालय मैदान में एक सरिया प्रखण्ड के केशवारी ग्राम में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक है। गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड के मौजा पाकरा में एक प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित है। सरिया प्रखण्ड के केशवारी ग्राम में स्टेडियम की स्वीकृति विभागीय मंत्री से प्राप्त है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे कार्यान्वित किया जायेगा।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थलों पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त (1) में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–0– 15/2015/क 2100 / राँची, दिनांक 20/03/2015

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1265 दिनांक 15.03.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/2015

सरकार के अवर सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(627)

566
21/03/2015

डॉ इरफान अन्सारी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -मास-103
क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्व0 फरमूद आलम, प्रधान मौलवी के पद पर मदरसा इस्लामियाँ, हरिहरपुर भाया गोमो जिला धनबाद में पदस्थापित थे।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि स्व0 फरमूद आलम, प्रधान मौलवी की मृत्यु 24.11.2009 को हो गयी, जिसके पश्चात् उनके पुत्र मो0 महमूद हसन द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक-04.08.2011 को सचिव, अधिविद्य परिषद्, रांची को विधिवत् रूप से कागजात दिया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-452 दिनांक-04.03.14 द्वारा पत्र निर्गत होने के बावजूद मो0 महमूद हसन को मौलवी श्री हुसैन अहमद द्वारा अबतक योगदान नही कराया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है।
4	क्या यह बात सही है कि अनुकम्पा के आधार पर मो0 महमूद हसन की नियुक्ति नही होने से पूरे परिवार क समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मो0 महमूद हसन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यो ?	प्रश्नाधीन मदरसा एक गैर सरकारी प्रस्वीकृत मदरसा है। अनुकम्पा की नियुक्ति का लाभ मात्र सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत्युपरान्त उनके आश्रित को ही निर्धारित प्रावधानों के तहत दी जाती है। अतः प्रश्नाधीन गैर सरकारी मदरसा के कर्मी के मृत्युपरान्त उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नही है।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-1/स.1वि.(I)-60/2015.....566...../ दिनांक 21/03/2015...../
प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

628

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 24.03.2015 को श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –वि0प्रा0–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला प्रखण्ड में कोई पॉलिटेकनिक कॉलेज नहीं होने से छात्र–छात्रायें तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे है;	1. अस्वीकारात्मक।
2. उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उक्त प्रखण्ड में पॉलिटेकनिक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	2. जामताड़ा जिले के अंचल जामताड़ा में मौजा–पल्लालचन्दा, थाना नं0–34, खाता सं0–40, दाग सं0–501, रकबा–7 एकड़ में राजकीय पॉलिटेकनिक के निर्माण हेतु निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.वि0प्रा0/वि0स0– 20/15 -- 700 / राँची, दिनांक– 20.09.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1272 दिनांक 15.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

387
21-03-15

(629)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या - वि0प्र0-10 का उत्तर सामग्री :-

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा एवं विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड रमकंडा, चिनीया, डण्डा, मेराल जैसे पिछड़े प्रखंड में आई0टी0आई0 का कोई भी विद्यालय नहीं होने से वहाँ के गरीब मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो रही है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित प्रखंडों के गरीब बच्चों के भविष्य के मद्देनजर वहाँ आई0टी0आई0 खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	गढ़वा जिला के रंका विधानसभा क्षेत्र के चिंगिया प्रखंड में "उग्रवाद प्रभावित(LWE) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना" के अन्तर्गत एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण किया जा रहा है। गढ़वा जिला के रंका विधानसभा क्षेत्र के रमकंडा, डण्डा, मेराल प्रखंडों में चालु वित्तीय वर्ष-2014-15 एवं आगामी वित्तीय वर्ष-2015-16 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव वित्तारधीन नहीं है।

24/03/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0- (वि0प्र0)-27/2015- 387 राँची, दिनांक :- 21-03-15

प्रतिलिपि : सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या-1193 दिनांक-13.03.2015 के प्रसंग में 200 अंकशोधित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/03/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(650)

श्री राजकिशोर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-मास-104

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के टुण्डी प्रखण्ड में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि टुण्डी से गोविन्दपुर डिग्री कॉलेज 35 किलोमीटर एवं गिरिडीह डिग्री कॉलेज 30 किलोमीटर एवं राजगंडा डिग्री कॉलेज 40 किलोमीटर की दूरी पर है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि टुण्डी विधान सभा के टुण्डी प्रखण्ड में आदिवासियों की अधिक जनसंख्या है और वहाँ सबसे ज्यादा गरीबी रहने के कारण इतनी दूरी जाकर डिग्री की शिक्षा हासिल करना असंभव है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार टुण्डी में एक सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद जिलान्तर्गत 07 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 10 सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में डिग्री स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। प्रत्येक जिला में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिलों में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत महाविद्यालय उपलब्ध कराने हेतु समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-38/2015.....572..... रांची दिनांक- 21/03/15

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1298 दिनांक-16.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(631)

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–24.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–11 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि स्मॉल इण्डस्ट्रीज का मुख्य कार्यालय बोकारो में है ?	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के जरूरत मंदों को कार्य हेतु बोकारो आना पड़ता है, जिससे कार्यों के निष्पादन मे बेवजह विलम्ब हो जाती है ?	संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (SPIADA) दुमका कार्यरत है, जिसका मुख्यालय देवघर में है उपायुक्त, देवघर SPIADA के प्रबंध निदेशक हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उपरोक्त कार्यालय को उप राजधानी दुमका में हस्तांतरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं ?	संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का क्षेत्र देवघर, दुमका, जामताड़ा एवं साहेबगंज औद्योगिक क्षेत्र है तथा इसका मुख्यालय देवघर है। यह कार्यालय वर्ष, 2006 (14.07.2006) से कार्यरत है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 541 / शैली, दिनांक 22.03.2015 /
ए / उ0वि0 (तारांकित प्रश्न)–11 / 2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1140 वि0स0 दिनांक–12.03.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के उप सचिव

(632)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-मास-78

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि संत जेवियर कॉलेज, राँची में छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाओं में 75 फिसदी उपस्थिति अनिवार्य है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कक्षाओं में उपस्थिति के बावजूद विभिन्न कारणों से छात्र-छात्राओं की उपस्थिति काट दी जाती है ?	संत जेवियर्स कॉलेज, राँची विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक स्वायत्तशासी महाविद्यालय है। प्रश्न में उठाए गए बिन्दुओं पर जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय को विदेशित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि बात-बात में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के बावजूद अटेंडेंस काटने की धमकी देकर भयादोहन किया जाता है, जिसके कारण हमेशा भय का वातावरण बना रहता है ?	
4.	क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं में एक दिन अनुपस्थित होने वाले छात्र-छात्राओं को एक के बजाए दो दिन अनुपस्थित कर दिया जाता है ?	
5.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस दिशा में कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-32/2015.....573...../ रांची दिनांक-....21/03/15...../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1138 दिनांक-12.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

1633

श्री योगेश्वर महतो, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास–91का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री योगेश्वर महतो, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चास, प्रखण्ड परिसर में खोरठा कला–संस्कृति एवं अनुसंधान भवन बनकर तैयार है, जिसका नाम बदलकर चास प्रखण्ड कार्यालय द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक है। भवन बनकर तैयार है।उपायुक्त, बोकारो के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भवन का उपयोग मात्र सरकारी कार्य के लिए कभी–कभी की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि खोरठा भाषा साहित्य एवं कला संस्कृति से संबंधित अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों के संचालन के लिए तत्संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल कर संचालन समिति का गठन कर इस भवन का संचालन करना था;	संचालन समिति का गठन कर इसे क्रियान्वयन किया जायेगा।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संचालन समिति का गठन कर अभीष्ट गतिविधियों के संचालन के लिए उक्त भवन का उपयोग करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त उत्तर 2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8– 16/2015/क 2101 / राँची, दिनांक 24/03/2015

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1189 दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/3/2015

सरकार के अवर सचिव
कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

634

श्रीमती सीता सोरेन, रा0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–24.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–14 की कंडिकावार उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य मे बुनकरों कि कुल संख्या कितनी है और कितनी हैण्डलूम इकाईयां कार्यरत है, तथा किन–किन जिलों में ये अधिक है;	झारखण्ड में बुनकरों की कुल संख्या लगभग 50–60 हजार है, हॉलाकि वास्तविक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। राज्य में कुल 355 हैण्डलूम ईकाईयाँ कार्यरत है, तथा इनकी संख्या गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, दुमका, राँची, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, पलामू प0 सिंहभूम जिलों में अधिक है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य बनने के बाद से अब तक राज्य में बुनकरों के उत्थान के लिए कौन–कौन सी योजनाएं चलाई गई है, और इन पर कितनी राशि खर्च की गई है और इससे कितने बुनकर लाभान्वित हुए हैं। वर्त्तमान में बुनकरों के विकास हेतु कौन योजनाएं चल रही है ;	झारखण्ड राज्य के गठन के बाद से अब्तक राज्य में बुनकरों के उत्थान हेतु हथकरघा विकास की योजना, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों के सुदृढ़ीकरण की योजना, समेकित हथकरघा विकास की योजना, रिहाईवल, रिफॉर्म एवं रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास की योजना कार्यान्वित की गई जिस पर सरकार द्वारा कुल 94.31 करोड़ रूपये व्यय किये गये जिससे लगभग 47,000 बुनकरों को लाभांवित किया गया है। वर्त्तमान में बुनकरों के विकास हेतु हथकरघा विकास की योजना, प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियो के सुदृढ़ीकरण की योजना एवं राष्ट्रीय हथकरघा विकास की योजना चल रही है। इसके तहत संथाल परगना हेतु मेगा हैण्डलूम क्लस्टर विकास, गोड्डा कार्यान्वित की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सही है तो बुनकरों के उत्थान के लिए सरकार कार्य करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सरकार बुनकरों के उत्थान के लिए हथकरघा विकास की योजना, प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियो के सुदृढ़ीकरण की योजना एवं राष्ट्रीय हथकरघा विकास की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 538 /राँची, दिनांक 22.03.2015 /
06/इस्ता0 वे0 (विधान)–1741/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1363 वि0स0 दिनांक 17.03.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव

635

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री अशोक कुमार स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मासं-66

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बाजीतपुर के विद्यालय भवन में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिससे गर्मी के मौसम में विद्यालय में रहने वाली छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के किसी भी कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अलग से ट्रांसफर्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के साथ-साथ गोड्डा जिलों के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अलग से ट्रासफर्मर लगाकर बिजली का कनेक्शन लगाने पर विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के 79 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रस्ताव वर्ष 2015-16 के राज्य योजना बजट में शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त होते ही कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की जायेगी।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक 595 / रॉंची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञापांक 822, दिनांक 09.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

636

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री कुणाल षाड़ंगी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-मास-102

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में NCERT सिलेबस लागू है और आज तक कभी भी सही समय पर छात्रों को पाठ्य पुस्तक मुहैया नहीं किया जा सका है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा CBSE पाठ्यक्रम लागू किया गया है और NCERT की पुस्तकें मात्र कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। यह सही है कि किसी-किसी वर्ष में विलंब से पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में बंगला उड़िया, संथाली, हो मुण्डारी, नया कुरमाली आदि बहुत सारे क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन इन भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों को हिन्दी भाषा के पुस्तक के स्थान पर उनके विद्यालय के मांग के आधार पर उर्दू, बंगला एवं उड़िया भाषा की किताब उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अगले शिक्षा सत्र में प्रथम से दशम् श्रेणी तक सभी भाषाओं में तथा गैरभाषेत्तर विषयों में पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति विषय के आधार पर नहीं होती है और शिक्षक से अपेक्षित है कि वे सभी विषयों के पुस्तकों को पढ़ाने का कार्य संपादित करेंगे। शिक्षक/प्रा.श. शिक्षक स्थानीय भाषा के जानकार होते हैं और वे अन्य विषयों को भी बच्चों की भाषा में पढ़ाने में सक्षम होते है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ग 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, किन्तु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ग 9 से वर्ग 10 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रारंभिक स्तर पर उपर्युक्त भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषा की पुस्तक उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

21/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 597, रांची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञापांक 1268, दिनांक 15.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

637

565
21/03/2015

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -मास-86

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के जरीडीह, चालमों, बरहमसिया, ससारखो, उ0 मध्य विद्यालय बोकारो जिला विद्यालय अलारगो, उ0 मध्य विद्यालय लहिया को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नही किया गया है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई नही होने से गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इन प्रखंडों के छात्रों को 13 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यों ?	राज्य सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित की है। इस नीति के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जरीडीह को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव इसी वर्ष भारत सरकार को भेजा गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ससारखों तथा मध्य विद्यालय, चालमो, बरमसिया को भी उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-53/2015 565 / दिनांक 21/03/2015 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

638

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स.वि.स. द्वारा दि. 24.03.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या मास–49 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के राँची, लोहरदगा, गुमला, सिंहभूम, सिमडेगा एवं खूँटी आदि क्षेत्रों में मुख्य भाषा नागपुरी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सिंहभूम में इसे बोलनेवालो की संख्या नगण्य है।
2	क्या यह बात सही है कि इन प्रमुख क्षेत्रों में नागपुरी भाषा बोलने के बावजूद इस भाषा का विकास नहीं हुआ है;	अस्वीकारात्मक। नागपुरी भाषा को अधिसूचना सं. 778, दि. 18.11.2011 द्वारा राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नागपुरी भाषा के विकास का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	सरकार राज्य की भाषाओं के विकास के लिये कृतसंकल्प है।

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक राजभाषा/संसदीय० 17/2015 ...45... रा०/राँची, दिनांक /8 मार्च, 2015

प्रति, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं. 763 वि.स., दिनांक–04.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18-3-15

(आभा काँशी)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री दीपक बिरूवा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या-मास-100

639

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक दिनांक 27.02.2015 को बुलाई गई थी?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बैठक में सीनेट और सिंडिकेट सदस्यों की अनदेखी कर कुलपति अपने स्तर से ही सब निर्णय लेते हैं?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सहमति से ही निर्णय लिया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि (सिंडिकेट सदस्य) की अनुपस्थिति में 154.83 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बैठक की सूचना सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से दी गयी थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि को छोड़कर सभी सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में 180.63 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत एवं पारित किया गया है, जिसमें योजनामद में 25.80 करोड़ एवं गैर योजना मद के लिए 154.83 करोड़ रुपये प्रस्ताव है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 में अल्लिखित प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करने वाले कुलपति पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त खण्डों में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-34/2015...569...../ रांची दिनांक-21/03/15...../

प्रतिलिपि-अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1270 दिनांक-15.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

640

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्र0सं0–व0–11 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि जिला सरायकेला–खरसावाँ अंतर्गत नरसिंह इस्पात प्रा0 लि0 कम्पनी वन विभाग की जमीन पर अवस्थित है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कुरली PF में 1.04 एकड़ वन भूमि का अतिक्रमण कर फैक्ट्री आंशिक अवस्थित है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी को पर्यावरण Clearance वन विभाग का जमीन होते हुए भी दिया गया है;	कम्पनी को ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है
3. क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी के द्वारा गरीब आदिवासियों की जमीनों पर अवैध रूप से रास्ता बनाया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नरसिंह इस्पात कम्पनी द्वारा किये जा रहे अत्याचार को रोकने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मैसर्स नरसिंह इस्पात लि0 द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित की गई है। इकाई के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालित नहीं पाए जाने पर पर्षद द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। वन विभाग द्वारा अतिक्रमित भूमि पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गयी है

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–6/विधानसभा तारांकित प्रश्न–29/2015– 1528 व0प0, राँची, दि0– 21.03.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1191 दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/3/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

Tickyi/Sidhan Sabha/2

(641)

श्री शिव शंकर उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-मास-89

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत गुमला में कार्तिक उराँव महाविद्यालय संचालित है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने से विद्यार्थियों को राँची (100 कि0मी0) या अन्यत्र जाना पड़ता है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-4(17) के अन्तर्गत किसी अंगीभूत महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय सक्षम है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-33/2015...568...../ राँची दिनांक-..21/03/15...../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1187 दिनांक-13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(642)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री अमित कुमार स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-92

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के राहे प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राहे से सोनाहातु एवं सिल्ली प्रखण्ड में स्थित कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की दूरी 30 कि० मी० है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राहे प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुराने प्रखण्डों सिल्ली, सोनाहातु एवं अनगड़ा से कटकर राहे एक नया प्रखण्ड बना है। उक्त तीनों पुराने प्रखण्डों में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जहाँ नवसृजित राहे प्रखण्ड की बालिकाएँ भी नामांकित हैं। राहे सहित राज्य 57 नये प्रखण्डों में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2015-16 की योजना में पुनः इसे शामिल कर भारत सरकार को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
ज्ञापांक- 601 राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1186, दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

641

श्री शिव शंकर उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-मास-89

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत गुमला में कार्तिक उराँव महाविद्यालय संचालित है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने से विद्यार्थियों को राँची (100 कि0मी0) या अन्यत्र जाना पड़ता है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-4(17) के अन्तर्गत किसी अंगीभूत महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय सक्षम है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-33/2015...568...../ राँची दिनांक-...21/03/15...../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1187 दिनांक-13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(642)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री अमित कुमार स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-92

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के राहे प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राहे से सोनाहातु एवं सिल्ली प्रखण्ड में स्थित कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की दूरी 30 कि० मी० है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राहे प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुराने प्रखण्डों सिल्ली, सोनाहातु एवं अनगड़ा से कटकर राहे एक नया प्रखण्ड बना है। उक्त तीनों पुराने प्रखण्डों में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जहाँ नवसृजित राहे प्रखण्ड की बालिकाएँ भी नामांकित हैं। राहे सहित राज्य 57 नये प्रखण्डों में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2015-16 की योजना में पुनः इसे शामिल कर भारत सरकार को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-601 राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1186, दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

643

561
21/03/2015

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –मास–68

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज स्थित मोतीराज महिला इंटर कॉलेज तथा बालकिशोर सिंह इंटर कॉलेज जो सम्बद्धता प्राप्त कॉलेज है, मे केवल इन्टर के कला (आर्ट्स) की पढ़ाई होती है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन दोनों इंटर महाविद्यालय झारखंड इंटर महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के तहत कला संकाय हेतु प्रस्वीकृत महाविद्यालय है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कॉलेजों में साईन्स तथा कॉमर्स की पढ़ाई नही होती है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। दोनों महाविद्यालयों द्वारा मात्र कला संकाय में प्रस्वीकृति प्राप्त की गई है, इस कारण से प्रश्नाधीन महाविद्यालयों में साईन्स तथा कॉमर्स की पढ़ाई नही हो रही है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कॉलेजों से इन्टर पास करने के बाद स्नातक की पढ़ाई स्थानीय स्तर पर नही होने से गरीब तथा साधन विहीन बच्चे स्नातक की पढ़ाई नही कर पाते है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला के हरिहरगंज स्थित मोतीराज महिला इंटर कॉलेज तथा बालकिशोर सिंह इंटर कॉलेज में साईन्स, कॉमर्स तथा स्नातक की पढ़ाई की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यो ?	झारखंड इंटर महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के तहत प्रश्नाधीन महाविद्यालयों द्वारा साईन्स एवं कॉमर्स में इंटर स्तर की पढ़ाई हेतु आवेदन देने तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही राज्य सरकार इस संदर्भ में विचार कर सकती है। प्रश्नाधीन दोनों महाविद्यालय प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय है। इन्हे डिग्री महाविद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रावधान नही है।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(ई)-44/2015 561 / दिनांक 21/03/2015 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अरूप पटर्जी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछे जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या-गाल-97

644

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत धनबाद अवस्थित पी0 के0 रॉय मेमोरियल कॉलेज में ही एक मात्र स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के चिरका, सिन्दरी, गोविन्दपुर तथा झरिया के मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में मेधावी छात्र/छात्राओं के हित में उच्चतम शिक्षा प्राप्त कराने हेतु प्रत्येक विषय की पढ़ाई प्रारंभ करना आवश्यक है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड-2 में वर्णित क्षेत्र के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ कराने की रुचती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-4(17) के आलोक में किसी अंगीभूत महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय सक्षम है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-35/2015.....576...../ रांची दिनांक-24/03/15...../

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1181 दिनांक-13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(645)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 24.03.2015 को श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –वि0प्रा0–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के साथ–साथ अति पिछड़े बाहुल जिला है, जिसके अन्तर्गत 13 (तेरह) प्रखण्ड है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जिला में विगत 14 वर्षों में एक भी तकनीकी शिक्षण संस्थान जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोले जाने के कारण उक्त जिला के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे है;	2. अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में कई नई जिले ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बहुत छोटा होने के बावजूद वहाँ सरकार कई तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर चुकी है;	3. अस्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित जिला के मुख्यालय में भी बिना किसी पेड़–पाव के आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में ही तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, अथवा नहीं तो क्यों ?	4. राज्य सरकार द्वारा गिरिडीह जिले के अचल सरोदर, तेलो–सारमुते, थाना सं0–108, खाता सं0–01, खेसरा सं0–2976, रकबा–10.00 एकड़, मौसमजुरूआ खास किस्म जंगल भूमि जो उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा उपलब्ध कराया गया है में पॉलिटेक्निक के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक 2/वि0प्रा0/वि0स0–3– 22/15 – - 702 / राँची, दिनांक– 20.03.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1192 दिनांक 13.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/03/2015

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

646

श्री जगरनाथ महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–24.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–12 की उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में कोयला की बाहुल्यता है ?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि कोयले पर आधारित उद्योग पर्याप्त मात्रा में नहीं है ?	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित डुमरी प्रखण्ड में कोयले पर आधारित उद्योग की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार स्वयं उद्योग की स्थापना नहीं करती है। उद्योग स्थापना संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर औद्योगिक नीति अन्तर्गत विचार किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 540 /राँची, दिनांक 22.03.2015 /
33/उ0नि0/विधानसभा (तारांकित प्रश्न)–01/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झाखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञा0 संख्या–1139 वि0स0 दिनांक–12.03.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अंतोरियत प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के उप सचिव

647

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री राज कुमार यादव, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास –96

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में मीड डे मील योजना के तहत् बच्चों को मीड डे मील दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में मीड डे मील पकाने व परोसने हेतु रसोईयों को मात्र 1000/- (एक हजार) रूपये मानदेय दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में मीड डे मील योजना के तहत प्रबंध समिति के अध्यक्ष, संयोजक एवं ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी अपने पद के अनुसार कार्यरत रहते हैं लेकिन इन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय दिवस के दिन रसोईया द्वारा विद्यालयों में भोजन पकाने, परोसने, साफ–सफाई रखने आदि का कार्य संपादित किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति या सरस्वती वाहिनी के पदाधिकारी/सदस्यगण से यह अपेक्षित नहीं है कि वे प्रति दिन विद्यालय में उपस्थित रहकर उक्त कार्यों में अपना योगदान देंगे उनसे अपेक्षा रहती है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन को बेहतर से बेहतर तरीके से संचालित करने हेतु समिति के बैठकों में अपना सुझाव देंगे और समय–समय पर इसका अनुश्रवण करेंगे।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रसोईयों को न्यूनतम मजदूरी के दर से मानदेय एवं प्रबंध समिति अध्यक्ष, संयोजिका एवं प्रबंध शिक्षा समिति के अध्यक्ष को भी मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत कार्यरत रसोईया को मानदेय भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप दिया जा रहा है। मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सरस्वती वाहिनी की संयोजिका को मानदेय देने का कोई प्रावधान भारत सरकार के दिशा–निर्देश में नहीं है।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 598 / राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1180, दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

647

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री राज कुमार यादव, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-मास -96

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में मीड डे मील योजना के तहत् बच्चों को मीड डे मील दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में मीड डे मील पकाने व परोसने हेतु रसोईयों को मात्र 1000 (एक हजार) रूपये मानदेय दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में मीड डे मील योजना के तहत प्रबंध समिति के अध्यक्ष, संयोजक एवं ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी अपने पद के अनुसार कार्यरत रहते हैं लेकिन इन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय दिवस के दिन रसोईया द्वारा विद्यालयों में भोजन पकाने, परोसने, साफ-सफाई रखने आदि का कार्य संपादित किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति या सरस्वती वाहिनी के पदाधिकारी/सदस्यगण से यह अपेक्षित नहीं है कि वे प्रति दिन विद्यालय में उपस्थित रहकर उक्त कार्यों में अपना योगदान देंगें। उनसे अपेक्षा रहती है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन को बेहतर से बेहतर तरीके से संचालित करने हेतु समिति के बैठकों में अपना सुझाव देंगे और समय-समय पर इसका अनुश्रवण करेंगे।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रसोईयों को न्यूनतम मजदूरी के दर से मानदेय एवं प्रबंध समिति अध्यक्ष, संयोजिका एवं प्रबंध शिक्षा समिति के अध्यक्ष को भी मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत कार्यरत रसोईया को मानदेय भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप दिया जा रहा है। मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सरस्वती वाहिनी की संयोजिका को मानदेय देने का कोई प्रावधान भारत सरकार के दिशा-निर्देश में नहीं है।

13/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 598 / राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1180, दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

648

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 24.03.2015 को श्री कमल किशोर भगत, रा0वि0रा0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –वि0प्रा0–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला में एक भी इंजिनियरिंग कॉलेज नहीं है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जिला में इंजिनियरिंग कॉलेज नहीं होने से वहाँ के छात्रों का तकनीकी एवं प्रावैधिकी शिक्षा का विकास बाधित हो रहा है;	2. अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित जिला में इंजिनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	3. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल ने एक इंजिनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है जिसके लिये उपयुक्त, राँची, गुमला, खूँटी, लोहरदगा से भूमि की मांग की गयी है जिसमें से राँची एवं लोहरदगा से भूमि का प्रस्ताव प्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.वि0प्रा0/वि0स0– 21/15 — 701 / राँची, दिनांक– 20.03.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1271 दिनांक 15.03.2015 के अनुलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(249) 386 21-03-15

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–24.03.2015 को पूछा जाने वाला सारांकित प्रश्न संख्या – वि0प्र0–12 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत डालटनगंज उपमंडल मुख्यालय में 03 करोड़ 30 लाख रूपये की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन वर्ष 2011-12 से बनकर तैयार है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान में प्राचार्य और शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण आज तक प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संस्थान में शिक्षकों का पदस्थापन करके इस प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर का संचालन PPP मॉडल के अन्तर्गत करने के लिए "ईच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन पाँच वर्षों में करने के उपरांत कोई प्रतिष्ठित कम्पनी / औद्योगिक प्रतिष्ठित घराना, संस्था द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है। पुनः निविदा में रखे term and condition में आवश्यक संशोधन करते हुए पुनः निविदा कर प्रतिष्ठित कम्पनी / संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

21-03-15

संरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :- 5/विविध- (विधान)-26/2015- 386 राँची, दिनांक :- 21-03-15

प्रतिलिपि :- उपर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या-1273 दिनांक-15.03.2015 के प्रसंग में 200 चयनित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21-03-15

संरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(249) 386 21-03-15

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – वि0प्र0–12 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय में 03 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन वर्ष 2011-12 से बनकर तैयार है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान में आचार्य और शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण आज तक प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संस्थान में शिक्षकों का पदस्थापन करके इस प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर का संचालन PPP मॉडल के अन्तर्गत करने के लिए "ईच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन पाँच वर्षों में करने के उपरांत कोई प्रतिष्ठित कम्पनी / औद्योगिक प्रतिष्ठित घराना, संस्था द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है। पुनः निविदा में रखे term and condition में आवश्यक संशोधन करते हुए पुनः निविदा कर प्रतिष्ठित कम्पनी / संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

21/03/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/विविध– (वि0प्र0)–26/2015– 386 राँची, दिनांक :– 21-03-15

प्रतिलिपि :– उपर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या-1273 दिनांक-15.03.2015 के क्रम में 200 चयनित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/03/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(649) 386 21-03-15

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–24.03.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – वि0प्र0–12 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत छत्रपुर अनुमंडल मुख्यालय में 03 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन वर्ष 2011-12 से बनकर तैयार है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	यदि यह बात सही है कि उक्त संस्थान में प्राचार्य और शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण आज तक प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संस्थान में शिक्षकों का पदस्थापन करते हुए प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छत्रपुर का संचालन पी0 पी0 पी0 मॉडल के अन्तर्गत करने के लिए "ईच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन पाँच वर्षों में कोई के उपरांत कोई प्रतिष्ठित कम्पनी / औद्योगिक प्रतिष्ठित घराना, संस्था द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है। पुनः निविदा में उचित term and condition में आवश्यक संशोधन करते हुए पुनः निविदा कर प्रतिष्ठित कम्पनी / संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

20/03/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0- (वि0स0)-26/2015- 386 राँची, दिनांक :– 21-03-15

प्रतिलिपि :– आवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या-1275 दिनांक-15.03.2015 के प्रसंग में 200 अशोधित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/03/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

650

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 24.03.2015 को श्री रवीन्द्र नाथ महतो, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –वि०प्रा०– 14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य में 19 (निरंक) पॉलिटेकनिक कालेज खोले गये है,	1. स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि इन पॉलिटेकनिक कॉलेजो में व्याख्याताओं के पद रिक्त है,	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि व्याख्याताओं के पद रिक्त रहने से छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है,	3. अस्वीकारात्मक (i) छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्थानों में नियमित व्याख्याताओं के अतिरिक्त अंशकालीन व्याख्याता/संविदा पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा भी ली जा रही है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पॉलिटेकनिक कॉलेजों में रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करना चाहती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों?	4. राजकीय पॉलिटेकनिक/राजकीय महिला पॉलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अभियाचना भेजी गई है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2/वि०प्रा०/वि०स०–19/15 —→ 699 /राँची, दिनांक– 20.03.2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1274 दिनांक 15.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

(651)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–व0–06 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वन विभाग के सर्वोच्च पद P.C.C.F. के पद पर ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति दिनांक–31.01.2015 को की गयी है, जिसके विरूद्ध निगरानी, बिहार द्वारा 3 केस में चार्ज सीट दाखिल है और वह मामला 2007 से अब तक लम्बित है;	स्वीकरात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि चार्जसीटेड पदाधिकारी को प्रोन्नति देना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प–6227/रांची, दिनांक-20.11.2008 को जारी प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत के विरूद्ध है;	अस्वीकारात्मक है। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के प्रोन्नति के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशा-निर्देश लागू होता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारी को पदमुक्त करना चाहेगी, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक -5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–19/2015– 1473 व0प0, राँची, दि0–19.03.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–832 दिनांक–09.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

652

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्र0सं0–व0–12 की उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला अंतर्गत ईचागढ़ विधान क्षेत्र में अवस्थित कम्पनी जयमंगला स्पॉंज आयरन, नरसिंह इस्पात लिमिटेड, चाण्डिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एम्मार स्पॉंज एवं सिद्धी विनायक स्टीलस लिमिटेड, के द्वारा क्षेत्र में वायु एवं जल प्रदूषण काफी अधिक मात्रा में फैलाया जा रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कम्पनियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्णित इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए हैं। इसकी सतत् निगरानी हेतु चिमनी में Online Continuous Monitoring System की स्थापित की गयी है। इन इकाईयों से जल बाहे आव उत्पन्न नहीं होता है। इन इकाईयों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने एवं निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संचालित नहीं पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–29/2015– 1580 व0प0, राँची, दि0 20/3/2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1267 दिनांक–15.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/3/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

Tirkey/Hightno Sabha/4

653

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री नागेन्द्र महतो स.वि.स. द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-95

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के सरिया प्रखण्ड के 28 पंचायतों में एक भी कस्तुरबा गाँधी बालिका +2 आवासीय विद्यालय, गरीब मेधावी छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु नहीं है, जबकि 57 प्रखण्डों में राज्य योजना मद से बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य है	स्वीकारात्मक । नवसृजित सरिया प्रखण्ड पुराने बगोदर प्रखण्ड से अलग होकर वर्ष 2010 में अस्तित्व में आया है। बगोदर प्रखण्ड में स्थित कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में सरिया प्रखण्ड की छात्राएँ भी नामांकित हैं। सरिया प्रखण्ड में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए विधिवत प्रस्ताव वर्ष 2011-12 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लगातार भेजा जा रहा है, लेकिन प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह के सरिया प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2015-16 की योजना में पुनः उक्त प्रस्ताव शामिल कर भारत सरकार को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-.....603...../ राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1183, दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

(654)

श्री विरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–13 की उत्तर सामग्री :–

क०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की औद्योगिक नीति–2012 के अन्तर्गत निजी उद्यमियों के सहयोग से पी०पी०पी० के तहत उद्योग को बढ़ावा देने की बात सही है।	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड औद्योगिक नीति–2012 में औद्योगिक पार्कों की स्थापना लोक निजी भागीदारी (PPP mode) में किया जाना प्रावधानित है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नीति को प्रचारित–प्रसारित नहीं किए जाने के कारण इसका समुचित लाभ नहीं मिल सका है।	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड औद्योगिक नीति–2012 के गठन के पूर्व दिनांक 22.09.2011 को वेबसाइट पर प्रारूप upload करते हुए औद्योगिक संघों, उद्यमियों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं संबंधित विभागों से भी पत्र के माध्यम से मंतव्य की मांग की गयी प्राप्त मंतव्य के आधार पर झारखण्ड औद्योगिक नीति–2012 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करते हुए अधिसूचित किया गया एवं झारखण्ड गजट में प्रकाशित करते हुए सरकार के सभी विभागों को परिचालित किया गया तथा इसे उद्योग विभाग के वेबसाइट www.jharkhandindustry.gov.in पर संधारित है।
3	क्या यह बात सही कि उक्त नीति को लागू करने से राज्य के औद्योगिक विकास को तेजी मिल सकती है।	झारखण्ड औद्योगिक नीति–2012 लागू है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार उक्त नीति का प्रचार–प्रसार करके राज्य में नए उद्योगों के बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के समाचार पत्रों में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के द्वारा दिनांक 09.09.2014, दिनांक 10.09.2014 एवं 08.10.2014 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया वर्तमान में राज्य में लोक निजी भागीदारी में इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, आई०टी० पार्क एवं झारखण्ड मेगा फूड पार्क, नेलसूद, राँची की स्थापना की कार्रवाई विभिन्न चरणों में है। विभाग के द्वारा नीति एवं राज्य के रोलावनों के आधार पर प्रचार–प्रसार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली, प्रवासी भारतीय दिवस, अहमदाबाद, गुजरात, ऑटो एक्पो, पुना, फूड वर्ल्ड इण्डिया, मुम्बई एवं अन्य में भाग लिया गया तथा निवेश के अवसर की संभावनाओं को व्यक्त किया गया। पूंजीनिवेश हेतु औद्योगिक नीति का प्रचार–प्रसार समय–समय पर किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 539 /राँची, दिनांक 22.09.2015 /
06/उ०नि०/वि०प्र० (तारांकित)–08/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1150 वि०स० दिनांक–19.03.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(655)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास–90का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड– गढ़वा, मेराल, बिशुनपुरा, रंकाण्डा एवं डण्डा प्रखण्डों में इन्डोर और आउटडोर स्टेडियम नहीं होने से वहाँ के प्रतिभा सम्पन्न खिलाड़ियों की प्रतिभा नहीं निखर पा रही है।	स्वीकारात्मक है
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्डों में इन्डोर और आउटडोर स्टेडियम बनाकर वहाँ के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत Integrated Sports Complex के निर्माण हेतु उपयुक्त , गढ़वा से प्रस्ताव की मांग की गई है। अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

झारखण्ड सरकार

कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8– 17/2015/क 2099 / राँची, दिनांक 20/03/2015

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1188 दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/2015

सरकार के अवर सचिव
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(657)

560
21/03/2015

श्री मनोज कुमार यादव, मा०सं०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -मास-98 क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्डाधीन भगहंर पंचायत में अवस्थित मध्य विद्यालय परसातेरी से 10 कि०मी० की परिधि में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि नजदीक में कोई उच्च विद्यालय नहीं होने, खण्ड 1 में वर्णित क्षेत्र के विद्यालयों को उच्च विद्यालय स्तर की शिक्षा पाने में काफी कठिनाई हो रही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, परसातेरी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत पांच किलोमीटर की दूरी में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित की गई है। इस नीति के तहत अभी भी 475 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जाना है। प्रश्नाधीन मध्य विद्यालय के छात्रों को भी पांच किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(ii)-56/2015 560 दिनांक 21/03/2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

(658)

564
31/03/2015

श्री बादल, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –मास–93

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य पुस्तकालय, राँची की स्थापना वर्ष 1953 में हुई, जहाँ 80 हजार पुस्तकें उपलब्ध है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य पुस्तकालय, राँची में सिर्फ चार कर्मचारी है, जिससे पुस्तकालय संचालन में कठिनाई होती है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कुल स्वीकृत 7 पदों के विरूद्ध 5 पदों पर कर्मी कार्यरत है। एक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा एक पृथक्कार का पद रिक्त है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुस्तकालयाध्यक्ष सहित सभी रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यो ?	प्रावधानों के आलोक में रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार नियमसंगत कार्रवाई करेगी।

31/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(1)–55/2015 ....564.... दिनांक 31/03/2015

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

(659)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-94

प्रश्नांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि स्व0 अक्षयवट सिंह सहायक शिक्षक के पद पर राजकीय मध्य विद्यालय शहकटी, सेन्हा में कार्यरत थे	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्य अवधि के दौरान 09.07.2013 को उनका देहान्त हो गया था एवं उनके आश्रित पुत्र दयानिधि कुमार को अभी तक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं किया गया है, जबकि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उनका आवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा जिला स्थापना उप-समाहर्ता को 20 मई, 2014 को ही भेज दिया गया था	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व0 अक्षयवट सिंह के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक 573, दिनांक 20.03.15 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा को निदेशित किया गया है कि वे स्व0 अक्षयवट सिंह के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार कार्रवाई कर शीघ्र निर्णय लें।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 622 राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1184, दिनांक 13.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

660

श्री कमल किशोर भगत, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 24.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–व–13 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला में वनाधिकार अधिनियम–2000 के तहत पट्टा वितरण केवल 139 लोगों के बीच किया गया है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। लोहरदगा जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा को कुल 394 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें ग्राम सभा के द्वारा 98 आवेदन, अनुमण्डल स्तरीय समिति द्वारा 142 एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा 1 आवेदन यानि कुल 241 आवेदन निर्धारित माप दण्ड पूरा नही किए जाने के कारण निरस्त किए गए। शेष योग्य पाए गए 153 व्यक्तियों को दिनांक–08.03.15 तक व्यक्तिगत पट्टा का वितरण किया जा चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जिला में वनाधिकार अधिनियम –2006 को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है और इसमें संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई रुची नहीं ली जा रही है।	अस्वीकारात्मक। सरकार द्वारा इसे प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस माह से पुनः सभी जिला में अभियान प्रारम्भ किया गया है, एवं इस हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त के पत्रांक–698 दिनांक–17.03.15 के आलोक में झारखण्ड एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन दिनांक 18.3.15 से किया जा रहा है। स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से वन अधिकार अधिनियम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जिलों में जागरुकता एवं प्रशिक्षण अभियान संचालित करने का कार्यक्रम है। इस दिशा में पूरे अप्रैल माह में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सभी जिलों में ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे ।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोहरदगा जिला में खण्ड–1 में वर्णित वनाधिकार अधिनियम–2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त दोनों खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–9/व0अ0नि0–1/15 821 राँची, दिनांकः– 20/8/15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को वन एवं पर्यावरण विभाग को संबोधित उनके ज्ञाप सं0–1266 दिनांक 15.03.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञात हो कि विषयगत प्रश्न वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1421 दिनांक–18.03.15 के द्वारा इस विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

20/8/15
(प्रदीप कुमार ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

(661)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री दशरथ गागराई, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-मास-99

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत प्रखण्ड-खुंटपानी पंचायत लोहरदा के ग्राम कोटसोना में प्राथमिक विद्यालय है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में एक शिक्षक (हेड मास्टर) और एक सहायक शिक्षिका है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्कूल की सहायक शिक्षिका (महिला) को दस वर्ष पहले से जिला स्कूल चाईबासा में Deputation (डेप्यूटेशन) पर भेजने की वजह से पठन-पाठन का कार्य पूर्ण रूप से बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, चाईबासा के ज्ञापांक 1912, दिनांक 15.06.04 द्वारा श्रीमती कुंती मेरी माधुरी होरो, सहायक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय कोटसोना, प्रखण्ड-खुंटपानी को जिला स्कूल, चाईबासा में प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसके कारण प्राथमिक विद्यालय कोटसोना में पठन-पाठन का कार्य आंशिक रूप से बाधित रहा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सहायक शिक्षिका का प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उक्त विद्यालय में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनांक 25.02.15 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जिला शिक्षा अधीक्षक, चाईबासा के ज्ञापांक 2024, दिनांक 14.03.15 द्वारा श्रीमती होरो का प्रतिनियोजन रद्द करते हुए उन्हें मूल विद्यालय में वापस कर दिया गया है।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
ज्ञापांक- 594 रांची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1269, दिनांक 15.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।